


1	प्रधानाध्यापक, रामावि धोलिया बेरा, राजासनी, तिंवरी, जोधपुर	श्री गोविन्द कु. पंचारिया, व्या. राउमावि उम्मेदनगर, तिंवरी, जोधपुर	ओसियां
2	प्रधानाचार्य, राउमावि कानसिंह की सिङ्ग, बाप, जोधपुर	श्री पप्पूराम गोदारा, व्या. राउमावि कानसिंह की सिङ्ग, बाप, जोधपुर	बाप
3	प्रधानाध्यापक, रामावि कबीरबस्ती, जैसलमेर	श्री अमराराम लउवा, व्या. राउमावि खींवसर, जैसलमेर	जैसलमेर
4	प्रधानाचार्य, राउमावि शक्करगढ, भीलवाड़ा	श्री राजकुमार पांचाल, व्या. राउमावि शक्करगढ, भीलवाड़ा	जहाजपुर
5	प्रधानाचार्य, राउमावि मेजा, माण्डल, भीलवाड़ा	श्री इरशाद आलम काजी, व्या. राउमावि मेजा, माण्डल, भीलवाड़ा	माण्डल
6	प्रधानाचार्य, राउमावि पनोतिया, शाहपुरा, भीलवाड़ा	श्री देवीलाल गोस्वामी, व्या. राउमावि पनोतिया, शाहपुरा, भीलवाड़ा	शाहपुरा
7	प्रधानाध्यापक राबामावि पुर, भीलवाड़ा	श्रीमती अंतिम व्यास, प्रधानाचार्य, राउमावि पुर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
8	प्रधानाचार्य, राउमावि खुदरड़ा, डूंगरपुर	श्री अनिल कुमार जाटोलिया, व्या. राउमावि खुदरड़ा, डूंगरपुर	डूंगरपुर
9	प्रधानाचार्य, राउमावि डाल, सलूम्बर, उदयपुर	श्री कमलेश कुमार पटेल, व्या. राउमावि डाल, सलूम्बर, उदयपुर	सलूम्बर
10	प्रधानाचार्य, राउमावि झंवर, लूणी, जोधपुर	श्री सुनील कुमार थानवी, व्या. राउमावि झंवर, लूणी, जोधपुर	लूणी
11	प्रधानाचार्य, राआउमावि गिड़ा, बाड़मेर	श्री शंकराराम, व्या. राउमावि गिड़ा, बाड़मेर	बायतु




वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 20.02.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/18-19/

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



सहायक लेखाधिकारी-I  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम-03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 22 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर कमोन्नति के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी-4/25605/2018-19/230 दिनांक 14.02.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित शालाओं के लिए पद एवं राशि का आवंटन किया गया है, इन माध्यमिक शालाओं के लिए संस्था प्रधानों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ। समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हे निम्नांकित कार्य करने के लिए इन्हे अधिकृत करता हूँ :-

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना।
5. वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना।
7. उचित प्राप्तकर्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक-2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है।

संलग्न: सूची

वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018-19

दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
4. सम्बन्धित कोष/।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक लेखाधिकारी-1  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2018-19/230

दिनांक - 14/02/19

प्रधानाध्यापक,

रा.मा.वि./रा.बा.मा.वि.

- विषय:-** माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 99 की अनुपालना में 22 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप ऑफिस आईडी एवं पदों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19
- प्रसंग :-** राज्य सरकार का पत्रांक प. 11(1) शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक 03.08.2018, 10.09.2018, 05.10.2018 एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2017-18 दिनांक 05.10.2018 एवं 13.02.2019

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों के क्रम में 22 (11+8+1+2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप विभाग के संलग्न सूची अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों को स्वीकृत पदों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु करते हुए ऑफिस आईडी का भी आवंटन किया जाता है। क्रमोन्नत विद्यालयों को सम्बन्धित लेखामद के विस्तृत मद 01-सवेतन में राशि का आवंटन कर दिया गया है। अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन माग की जावे। आवंटित पदों का मिलान बजट मद सहित आईएफएमएस के अनुसार शाला दर्पण से कर लिया जावे एवं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अवगत कराया जावे ताकि त्रुटि का सुधार किया जा सके।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक - 14/02/19

क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2018-19/230

**प्रतिलिपि:-** निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट (सं निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
- 4 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, .....
- 5 उप निदेशक (माध्य), कार्यालय हाजा को प्रासंगिक आदेशों के क्रम में।
- 6 उप निदेशक, माध्यमिक/ योजना अनुभाग।
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा .....
- 8  लेखाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त विद्यालयों को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की कार्यवाही करावें।
- 9 अनु. अधि. शाला दर्पण अनु. कार्यालय हाजा को शाला दर्पण में आवश्यक सशोधन करवाने हेतु।
- 10 प्रभारी, बी-5 प्रभाग, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 11 प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग), कार्यालय हाजा को IFMS पर ऑनलाईन करने हेतु।
- 12 रक्षित पत्रावली।



निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

